[2023] 5 एस. सी. आर 668 ए

ए.

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी सीमित

बनाम

अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड और एक और (2021 की सिविल अपील संख्या 677-678)

बी.

अप्रैल 20,2023

[बी. आर. गवई और विक्रम नाथ, जे. जे.]

बिजली-कानून में परिवर्तन-शक्ति नीति, यदि कानून में परिवर्तन के बराबर है-अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड (ए. पी. एम. एल.) और महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एम. एस. ई. डी. सी. एल.) ने चार दीर्घकालिक बिजली परियोजना समझौतों (पी. पी. ए.) में प्रवेश किया-ए. पी. एम. एल. ने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (एम. ई. आर. सी.) के समक्ष पी. पी. ए. के तहत कानून में बदलाव के कारण शुल्क में मुआवजे की मांग करते हुए याचिका दायर की-अनुमति दी-इसके बाद, ए. पी. एम. एल. ने एम. ई. आर. सी. के समक्ष एक नई याचिका दायर की जिसमें संबंधित पी. पी. के तहत कानून में बदलाव के समर्थन में राहत मांगी गई मार्च, 2017 के बाद शक्ति नीति के तहत घरेलू कोयले की अनुपलब्धता/कम आपूर्ति के लिए, जिसकी अनुमति दी गई थी-ए. पी. टी. ई. एल. के समक्ष दायर क्रॉस-अपील-एम. एस. ई. डी. सी. एल. द्वारा दायर अपीलयदि परियोजना के लिए विक्रेता की चूक के अलावा किसी भी सहमति, अनुमोदन या उपलब्ध/प्राप्त लाइसेंस में कोई बदलाव होता है, जिसके परिणामस्वरूप बिजली बेचने के व्यवसाय की किसी भी लागत में कोई बदलाव होता है, तो उक्त विक्रेता खंड 13.1 के तहत लागू होगा।1 पी. पी. ए. का-डी. टी. डी. द्वारा एन. सी. डी. पी. 2007 में संशोधन।31 जुलाई 2013 से कानून में बदलाव की राशि और उत्पादन करने वाली कंपनियां कानून में इस तरह के बदलाव के कारण मुआवजे की हकदार हैं-शक्ति नीति 2007 एन. सी. डी. पी. के तहत आश्वासन के रूप में ए. सी. क्यू. को भी कम करती है और इस प्रकार, इसे कानून में बदलाव भी माना जाएगा-इसके अलावा, शक्ति नीति की शुरुआत के कारण होने वाले परिवर्तन के कारण भी प्रतिस्थापन सिद्धांत लागू होगा-ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा लिया गया दृष्टिकोण न तो अनिवार्य वैधानिक प्रावधानों की अज्ञानता में है और न ही बाहरी विचार या पूर्व-प्रत्यक्ष मनमाना/अवैध पर आधारित है-इस प्रकार, कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एनर्जी वॉचडॉग बनाम केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग और अन्य (2017) 14 एस. सी. सी. 80;

एच.

668

669

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनामअदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड।

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) बनाम अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड (एपीएमएल) और अन्य 2023 एससीसी ऑनलाइन 233; जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और अन्य बनाम अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड और एक अन्य 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 697; उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएनएल) और एक अन्य बनाम अदानी पावर लिमिटेड

बी.

और अन्य (2019) 5 एससीसी 325:[2019] 4 एस. सी. आर. 487-पर निर्भर।

एम. एस. ई. डी. सी. एल बनाम जी. एम. आर. वारोरा एनर्जी लिमिटेड और अन्य सिविल

2021 की अपील संख्या 6927; अदानी पावर लिमिटेड बनाम

सी.

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग 2 018 एस. सी. सी.

ऑनलाइन ए. पी. टी. ई. एल. **5-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

[2019] 4 एससीआर **487**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **32**

डी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2021 की सिविल अपील Nos.677-678।

विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय और आदेश दिनांक 28.09.2020 से अपील Nos.116 और 2019 के 155 से।

गोपाल जैन, जी. उमापति, एम. जी. रामचंद्रन, निरंजन रेड्डी, डॉ. ए. एम. सिंघवी, डेरियस जे. खंबाटा, विक्रम नानकानी, साजन पूवय्या, सिद्धार्थ दवे, वरिष्ठ अधिवक्तागण , मेसर्स उदित किशन एंड अधिवक्तागण के लिए अनूप जैन, उदित गुप्ता, सुश्री प्राची गुप्ता, व्योम चतुर्वेदी, सुश्री पूर्वा सहगल, शुभम आर्य, निकुंज दयाल, सुश्री पल्लवी सहगल, रवि नायर, सुश्री शिखा सूद, सुश्री रीहा सिंह, सुश्री अनुमेहा स्मिटी, अनीश बजाज, विश्व मुखर्जी, सुश्री अखिला पालेम, सुश्री जूही सेनगुट्टुवन, पुखरंबम रमेश कुमार, महेश अग्रवाल, अमित कपूर, सुश्री पूनम सेनगुप्ता, अविष्कार सिंघवी, अर्शित आनंद, सौनक राजगुरु, अमन शर्मा, सुश्री अपराजित, सुश्री दीपशिखा मिश्रा। उपस्थित दलों के लिए।

ई.

एफ.

जी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी. आर. गवई, जे.

1. वर्तमान अपीलें विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित 28 सितंबर 2020 के फैसले और आदेश को चुनौती देती हैं

एच.

ए.

(इसके बाद 'ए. पी. टी. ई. एल.' के रूप में संदर्भित), महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (इसके बाद 'एम. एस. ई. डी. सी. एल.' के रूप में संदर्भित) द्वारा दायर 2019 की अपील संख्या 116 में, अपीलार्थी और 2019 की अपील संख्या 155, जो ए. डी. ए. एन. आई. पावर महाराष्ट्र लिमिटेड (इसके बाद 'ए. पी. एम. एल.' के रूप में संदर्भित), प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर की गई है, जिससे महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (इसके बाद 'एम. ई. आर. सी.' के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित 7 फरवरी 2019 के आदेश को चुनौती दी गई है।

बी.

2. संक्षेप में, वर्तमान अपीलों को जन्म देने वाले तथ्य इस प्रकार हैं -

इसके अंतर्गतः

ए. पी. एम. एल. और एम. एस. ई. डी. सी. एल. ने एम. एस. ई. डी. सी. एल. द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के अनुसार (ए) 8 सितंबर, 2008 को 1320 मेगावाट (इसके बाद '1320 मेगावाट पी. पी. ए.' के रूप में संदर्भित); (बी) 31 मार्च, 2010 को 1200 मेगावाट (इसके बाद '1200 मेगावाट पी. पी. ए.' के रूप में संदर्भित); (सी) 9 अगस्त, 2010 को 120 मेगावाट (इसके बाद '120 मेगावाट पी. पी. ए.' के रूप में संदर्भित) और (डी) 16 फरवरी, 2013 को 440 मेगावाट (इसके बाद '440 मेगावाट पी. पी. ए.' के रूप में संदर्भित) के लिए चार दीर्घकालिक बिजली परियोजना समझौते (इसके बाद 'पी. पी. ए.' के रूप में संदर्भित) किए थे।

सी.

डी.

3. एपीएमएल, कोयला मंत्रालय द्वारा नई कोयला वितरण नीति, 2013 (जिसे इसके बाद 'एन. सी. डी. पी., 2013' के रूप में संदर्भित किया गया है) को लागू करने के कारण कानून में बदलाव से व्यथित है, जिसने कोयले की आपूर्ति के लिए नई कोयला वितरण नीति, 2007 (जिसे इसके बाद 'एन. सी. डी. पी., 2007' के रूप में संदर्भित किया गया है) के तहत निर्धारित व्यवस्थाओं को संशोधित किया है, ने 2013 का मामला संख्या 189 के रूप में एक याचिका दायर की थी, जिसमें एम. ई. आर. सी. के समक्ष पी. पी. ए. के तहत कानून में बदलाव के कारण शुल्क में मुआवजे की मांग की गई थी। अंत में, एनर्जी वॉचडॉग के मामले में इस न्यायालय के फैसले के आलोक में

ई.

v. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग और अन्य **1,** उक्त

एफ.

ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा रिमांड पर लिए जाने के बाद याचिका पर एम. ई. आर. सी. द्वारा नए सिरे से सुनवाई की गई।

4. 7 मार्च, 2018 के आदेश के माध्यम से, एम. ई. आर. सी. ने एन. सी. डी. पी., 2013 द्वारा लाए गए परिवर्तनों के कारण कानून में बदलाव के कारण ए. पी. एम. एल. के दावों की अनुमति दी।इसके बाद, ए. पी. एम. एल. ने एक समीक्षा याचिका को प्राथमिकता दी, जो 2018 की समीक्षा याचिका संख्या 167 थी, जिसमें भारत में कोयले के दोहन और आवंटन योजना (जिसे इसके बाद 'शक्ति' के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों के कारण घरेलू कोयले की कमी के लिए मार्च, 2017 से आगे कानून में बदलाव की राहत का विस्तार करने की मांग की गई थी।

जी.

1 (2017) 14 एससीसी 80 ए

एच.

नीति) जिसे विद्युत मंत्रालय द्वारा 22 मई, 2017 को जारी किया गया था।शक्ति नीति के खंड 6.1 के अनुसार, उपयुक्त आयोग को आयातित/बाजार आधारित ई-नीलामी कोयले की लागत पर विचार करना आवश्यक था ताकि घरेलू कोयले की कमी को पूरा किया जा सके।

5. एम. ई. आर. सी. ने उक्त समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया।हालाँकि, ए. पी. एम. एल. को शक्ति नीति की शुरुआत को देखते हुए घरेलू कोयले की कमी के लिए मार्च, 2017 से आगे कानून में बदलाव की राहत की मांग करने के लिए एक नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी गई थी।इसके बाद, ए. पी. एम. एल. ने मार्च, 2017 के बाद शक्ति नीति के तहत घरेलू कोयले की अनुपलब्धता/कम आपूर्ति के लिए संबंधित पी. पी. ए. के तहत कानून में बदलाव के समर्थन में राहत की मांग करते हुए एम. ई. आर. सी. के समक्ष 2018 का मामला संख्या 290 के रूप में एक नई याचिका दायर की।

बी.

सी.

6. एम. ई. आर. सी. ने 7 फरवरी 2019 के अपने आदेश के माध्यम से याचिका को मंजूरी दी और शक्ति नीति की घोषणा के कारण कानून में बदलाव के लिए राहत दी।हालाँकि, राहत की गणना उसी कार्यप्रणाली और मापदंडों पर करने का निर्देश दिया गया था जैसा कि एम. ई. आर. सी. द्वारा 7 मार्च, 2018 के अपने आदेश में अनुमोदित किया गया था।उपरोक्त आदेश के खिलाफ एपीएमएल और एमएसईडीसीएल द्वारा एपीटीईएल के समक्ष क्रॉस अपील दायर की गई थी।

डी.

7. विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. ने निर्णय के लिए निम्नलिखित पाँच मुद्दों को तैयार विद्वान ः

ई.

“ मुद्दा संख्या 1:- क्या शक्ति नीति का परिचय ए. पी. एम. एल. और एम. एस. ई. डी. सी. एल. के बीच किए गए पी. पी. ए. के तहत कानून में बदलाव के बराबर नहीं है और क्या ए. पी. एम. एल. ने प्रत्यर्थी एम. एस. ई. डी. सी. एल. को कानून में ऐसे बदलाव की सूचना नहीं दी है।

एफ.

मुद्दा संख्या 2:- क्या एम. ई. आर. सी. का यह मानना सही है कि कानून मुआवजे में बदलाव के उद्देश्य से, शक्ति नीति लागू होने के बाद घरेलू कोयले में कमी एसीक्यू के अधिकतम 25 प्रतिशत तक सीमित होगी।

जी.

मुद्दा संख्या 3:- (क) क्या एम. ई. आर. सी. का यह मानना सही था कि अपीलार्थी द्वारा अपनी बोली में प्रस्तुत एस. एच. आर. या एम. वाई. टी. विनियम, 2011 के तहत नए उत्पादन स्टेशनों के लिए निर्दिष्ट एस. एच. आर. और सहायक खपत मानदंड, जो भी बेहतर हो,

एच.

672

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 5 एस सी आर।

पी. पी. ए. के तहत कानूनी मुआवजे में परिवर्तन की गणना करने का आधार बनेगा?

(ख) क्या एम. ई. आर. सी. का यह मानना सही था कि सी. आई. एल. द्वारा आपूर्ति किए गए घरेलू कोयले का संदर्भ जी. सी. वी. एल. ओ. ए./पी. एस. ए./एम. ओ. यू. में सुनिश्चित कोयला श्रेणी के जी. सी. वी. श्रेणी का मध्य मूल्य होगा न कि प्राप्त जी. सी. वी.?

बी.

मुद्दा संख्या 4:- क्या मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के उद्देश्य से वैकल्पिक कोयले का उपयोग करके ऊर्जा शुल्क पर प्रभाव की अग्रिम सूचना प्रदान करने के लिए ए. पी. एम. एल. को निर्देश देने में एम. ई. आर. सी. उचित था?

सी.

मुद्दा संख्या 5:- क्या प्रत्यर्थी एम. एस. ई. डी. सी. एल. ए. पी. एम. एल. की वहन लागत की पात्रता का विरोध करने में उचित है।"

8. ए. पी. टी. ई. एल. ने 28 सितंबर 2020 के निर्णय और आदेश के माध्यम से निम्नलिखित मुद्दों का उत्तर दिया:

डी.

" 15.1 मुद्दा संख्या 1:- हमारा मानना है कि शक्ति नीति की शुरुआत कानून में बदलाव के बराबर है और कानून में बदलाव के सभी तत्व हैं:, संबंधित पी. पी. ए. के तहत विधिवत पूरा किया गया। इसलिए इस मुद्दे पर विवादित आदेश की पुष्टि की गई है।

ई.

15.2 मुद्दा संख्या 2:- हमारा मानना है कि घरेलू कोयले में कमी की मात्रा को अधिकतम 25 प्रतिशत तक सीमित करने के मुद्दे से संबंधित विवादित आदेश के निष्कर्ष पी. पी. ए. के कानून प्रावधानों में बदलाव के तहत बहाली I के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ हैं।

एफ.

15.3 मुद्दा संख्या 3:- 2019 की अपील No.182 में हमारे दिनांकित 14.09.2020 निर्णय के अनुरूप, हम मानते हैं कि कानूनी मुआवजे में परिवर्तन की गणना एम. ई. आर. सी. एम. वाई. टी. विनियम, 2011 में निर्दिष्ट एस. एच. आर. या वास्तविक एस. एच. आर., जो भी कम हो, और संयंत्र स्थल के रूप में प्राप्त कोयले के वास्तविक जी. सी. वी. के आधार पर की जाएगी।

जी.

15.4 मुद्दा संख्या 4:- हम पाते हैं कि राज्य आयोग द्वारा अग्रिम सूचना की आवश्यकता के संबंध में जारी किए गए निर्देश एमओडी तैयारी के सामान्य नियमों के अनुरूप नहीं हैं और आई. पी. पी. के लिए समान अवसर भी प्रदान नहीं करते हैं।

एच.

673

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनामअदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड. [बी. आर. गवई, जे.] ए.

ए.

15.5 मुद्दा संख्या 5:- हम पाते हैं कि वहन लागत का भत्ता कानून की एक तय स्थिति है और राज्य आयोग ने पहले ही अपीलार्थी , एपीएमएल को इसकी अनुमति दे दी है।9. नतीजतन, ए. पी. टी. ई. एल. ने एम. एस. ई. डी. सी. एल. द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और ए. पी. एम. एल. द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। इसलिए, एम. एस. ई. डी. सी. एल. ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

बी.

10. हमने अपीलार्थी-एम. एस. ई. डी. सी. एल. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गोपाल जैन और प्रत्यर्थी संख्या 1-ए. पी. एम. एल. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी को सुना है।

सी.

11. श्री जैन ने प्रस्तुत किया कि शक्ति नीति (भाग-बी) एन. सी. डी. पी. 2007 द्वारा कवर की गई स्थिति को बहाल करती है।इसलिए, वह प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि शक्ति नीति के तहत कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित है, इसलिए कोयले की आपूर्ति में कमी के कारण एपीएमएल को मुआवजा देने का कोई सवाल ही नहीं है।वे प्रस्तुत करते हैं कि शक्ति नीति एन. सी. डी. पी. 2007 की निरंतरता में है। हालाँकि, विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा इस पर विचार नहीं विद्वान गया है।

डी.

12. श्री जैन ने आगे कहा कि ए. पी. टी. ई. एल. और एम. ई. आर. सी. दोनों इस बात को ध्यान में रखने में विफल रहे हैं कि ए. पी. एम. एल. ने अनुच्छेद 13.3 के तहत कानून में बदलाव के लिए एम.

एस. ई. डी. सी. एल. को अनिवार्य नोटिस देने की शर्त का पालन नहीं किया था।2 1320 मेगावाट का पी. पी. ए.।

ई.

13. डॉ. सिंघवी, इसके विपरीत, प्रस्तुत करते हैं कि निर्विवाद रूप से, शक्ति नीति कानून में परिवर्तन के बराबर होगी। वे प्रस्तुत करते हैं कि ए. पी. टी. ई. एल. और एम. ई. आर. सी. दोनों द्वारा तथ्य का एक समवर्ती निष्कर्ष है कि शक्ति नीति कानून में परिवर्तन की घटना है।

एफ.

14. डॉ. सिंघवी आगे प्रस्तुत करते हैं कि अनिवार्य सूचना के मुद्दे पर ए. पी. टी. ई. एल. और एम. ई. आर. सी. द्वारा एक समवर्ती निष्कर्ष भी है।वह प्रस्तुत करता है कि जब तक ये निष्कर्ष विकृत नहीं पाए जाते हैं या बाहरी विचार पर आधारित नहीं होते हैं, तब तक इस न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं होगी।

जी.

15. जब अपीलों के समूह की सुनवाई की जा रही थी, तो सभी पक्षों के बीच यह सहमति हुई कि इस न्यायालय को पहले दीवानी अपील का फैसला करना चाहिए

2021 की संख्या 684 (महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एम. एस. ई. डी. सी. एल.) बनाम अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड (ए. पी. एम. एल.)

एच.

और अन्य 2) और 2021 की सिविल अपील संख्या 6927 (एम. एस. ई. डी. सी. एल बनाम जी. एम. आर. वारोरा एनर्जी लिमिटेड और अन्य) क्योंकि सभी अपीलों में शामिल तीन मुद्दे समान थे। यह प्रस्तुत किया गया था कि उन दोनों अपीलों का निर्णय तीन सामान्य मुद्दों पर निर्णय लेकर किया जा सकता है।हालाँकि, जहाँ तक अन्य अपीलों का संबंध है, तीन सामान्य मुद्दों के अलावा, कुछ अतिरिक्त मुद्दे भी शामिल थे।16. उक्त तीन सामान्य मुद्दे इस प्रकार हैं:

बी.

(i) क्या एन. सी. डी. पी. 2013 के कारण कानूनी राहत में परिवर्तन 'वास्तविक' यानी एन. सी. डी. पी. 2007 के संदर्भ में आश्वस्त मानक कोयले की आवश्यकता के 100% के विपरीत होना चाहिए

या एन. सी. डी. पी. 2013 में ट्रिगर स्तरों तक सीमित होना चाहिए। आश्वस्त कोयले की मात्रा (ए. सी. क्यू.) का 65 प्रतिशत, 65 प्रतिशत, 67 प्रतिशत और 75 प्रतिशत?

सी.

((ii) कानून राहत में परिवर्तन की गणना के लिए, संचालन मापदंडों पर 'वास्तविक' पर विचार किया जाना चाहिए या बोली में प्रस्तुत तकनीकी जानकारी के अनुसार?

डी.

((iii) क्या कानूनी राहत मुआवजे में परिवर्तन 1 अप्रैल 2013 (वित्तीय वर्ष की शुरुआत) या 31 जुलाई 2013 (एन. सी. डी. पी. 2013 की तारीख) से दिया जाएगा?

17. एम. एस. ई. डी. सी. एल. बनाम ए. पी. एम. एल. और अन्य (उपरोक्त) के मामले में 3 मार्च 2023 के निर्णय और आदेश के माध्यम से, इस न्यायालय ने उपरोक्त तीन मुद्दों पर विचार करने के बाद उन दोनों अपीलों का फैसला किया।

ई.

18. इस न्यायालय द्वारा पहले मुद्दे का उत्तर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि घरेलू कोयले की कमी के लिए कानून में राहत में परिवर्तन 'वास्तविक' यानी एन. सी. डी. पी., 2007 के संदर्भ में आश्वासन की गई मानक कोयले की आवश्यकता के 100% के विपरीत होना चाहिए।जहां तक दूसरे मुद्दे का संबंध है, यह माना गया कि स्टेशन हीट रेट (एसएचआर) और सहायक खपत पर विनियमों के अनुसार या वास्तविक, जो भी कम हो, विचार किया जाना चाहिए।तीसरे मुद्दे का जवाब यह मानते हुए दिया गया कि एन. सी. डी. पी., 2013 के लिए कानून परिवर्तन कार्यक्रम की शुरुआत की तारीख 1 अप्रैल 2013 है।

एफ.

19. जहाँ तक ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा बनाए गए मुद्दे संख्या 2 और 3 का संबंध है, वही स्थिति इस निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर की गई है।

जी.

एम. एस. ई. डी. सी. एल. बनाम ए. पी. एम. एल. और अन्य (उपर्युक्त) के मामले में न्यायालय।
द.

शेष तीन मुद्दे, जिन पर वर्तमान अपीलों में विचार किया जाना आवश्यक है, इस प्रकार हैंः

“ मुद्दा संख्या 1:- क्या शक्ति नीति का परिचय ए. पी. एम. एल. और एम. एस. ई. डी. सी. एल. के बीच किए गए पी. पी. ए. के तहत कानून में बदलाव के बराबर नहीं है और क्या ए. पी. एम. एल. ने प्रत्यर्थी एम. एस. ई. डी. सी. एल. को कानून में ऐसे बदलाव की सूचना नहीं दी है।

बी.

मुद्दा संख्या 2:- .....

मुद्दा संख्या 3:- .....

मुद्दा संख्या 4:- क्या मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के उद्देश्य से वैकल्पिक कोयले का उपयोग करके ऊर्जा शुल्क पर प्रभाव की अग्रिम सूचना प्रदान करने के लिए ए. पी. एम. एल. को निर्देश देने में एम. ई. आर. सी. उचित था?

सी.

अंक संख्या 5:- क्या प्रत्यर्थी एम. एस. ई. डी. सी. एल. वहन लागत के लिए ए. पी. एम. एल. की पात्रता का विरोध करने में उचित है।”

डी.

20. हम सबसे पहले इस सवाल पर विचार करेंगे कि क्या शक्ति नीति कानून में बदलाव के बराबर होगी।

21. एनर्जी वॉचडॉग (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले के कुछ प्रासंगिक हिस्सों का उल्लेख करना उचित होगा, जो इस प्रकार हैं:“50. .....अन्यथा भी, खंड 13 के पठन से यह स्पष्ट है कि खंड 13.1।1 यह चार अलग-अलग भागों में है।पहला भाग अधिनियमित कानूनों की बात करता है; दूसरा अदालतों या अन्य उपकरणों द्वारा ऐसे कानूनों की व्याख्या की बात करता है; तीसरा सहमति, अनुमोदन या लाइसेंस में परिवर्तन की बात करता है जिसके परिणामस्वरूप बिजली बेचने के व्यवसाय की लागत में बदलाव होता है; और चौथा परियोजना के लिए भूमि के घोषित कानून में किसी भी बदलाव, पुनर्वास और पुनर्वास के कार्यान्वयन की लागत या पर्यावरण प्रबंधन योजना को लागू करने की लागत को संदर्भित करता है।“खंड 13.1 में सक्षम न्यायालय।2 इसे केवल भारत की न्यायिक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है।

ई.

एफ.

जी.

.....

56. हालाँकि, जहाँ तक भारतीय कानून में परिवर्तन के लिए खंड 13 की प्रयोज्यता का संबंध है, उत्तरदाता दृढ़ आधार पर हैं।यह देखा जाएगा कि खंड 13.1 के तहत।1 यदि परियोजना के लिए उपलब्ध या प्राप्त किसी सहमति, अनुमोदन या लाइसेंस में कोई परिवर्तन होता है,

एच.

विक्रेता के चूक के अलावा, जिसके परिणामस्वरूप बिजली बेचने के व्यवसाय की किसी भी लागत में कोई बदलाव होता है, तो उक्त विक्रेता खंड 13.1 के तहत शासित होगा।1.आई. डी. 3 दिनांकित प्रस्ताव को पढ़ने से यह स्पष्ट है, जिसके परिणामस्वरूप बिजली मंत्रालय द्वारा जारी आई. डी. 1 का पत्र आया है, कि आई. डी. 2 दिनांकित पत्र में निहित पिछली कोयला वितरण नीति में संशोधन किया गया है क्योंकि सरकार ने अब कोयले की आपूर्ति के लिए एक संशोधित व्यवस्था को मंजूरी दे दी है।यह निर्णय लिया गया है कि समग्र घरेलू उपलब्धता और बिजली परियोजनाओं की संभावित आवश्यकता को देखते हुए, बिजली परियोजनाएं केवल पहले की अनुमति के एक निश्चित प्रतिशत के हकदार होंगी।

बी.

सी.

22. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि विक्रेता की चूक के अलावा, परियोजना के लिए उपलब्ध या प्राप्त किसी सहमति, अनुमोदन या लाइसेंस में कोई परिवर्तन होता है, जिसके परिणामस्वरूप बिजली बेचने के व्यवसाय की किसी भी लागत में कोई परिवर्तन होता है, तो उक्त विक्रेता खंड 13.1 के तहत शासित होगा।1 पी. पी. ए. से। जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है, इस न्यायालय ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि 31 जुलाई 2013 के संचार द्वारा एन. सी. डी. पी. 2007 में संशोधन कानून में परिवर्तन के बराबर होगा और उत्पादन करने वाली कंपनियां कानून में इस तरह के परिवर्तन के कारण मुआवजे की हकदार होंगी। निर्विवाद रूप से, शक्ति नीति ए. सी. क्यू. को भी कम करती है जैसा कि 2007 एन. सी. डी. पी. के तहत आश्वासन दिया गया था। नतीजतन, शक्ति नीति को भी कानून में परिवर्तन मानना होगा।

डी.

ई.

23. जयपुर के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ

राजस्थान लिमिटेड और अन्य 3 ने भी शक्ति नीति के प्रभाव पर विचार किया है और कहा है कि विक्रेता शक्ति नीति के कारण होने वाले लाभ का हकदार होगा।इस प्रकार, यह तर्क कि शक्ति नीति कानून में परिवर्तन के बराबर नहीं है, तथ्यहीन है।24. एनर्जी वॉचडॉग के मामले में निर्णयों के बाद

एफ.

(उपर्युक्त) और ए. डी. ए. एन. आई. पावर राजस्थान लिमिटेड (उपर्युक्त), इस न्यायालय ने एम. एस. ई. डी. सी. एल. बनाम ए. पी. एम. एल. और अन्य (उपर्युक्त) के मामले में इस प्रकार टिप्पणी कीः

जी.

“130. इसके बाद एम. ओ. पी. ने 31 जुलाई 2013 को सी. ई. आर. सी. के सचिव को विशेष रूप से सी. सी. ई. ए. के इस निर्णय की ओर इशारा करते हुए एक पत्र भेजा कि आयातित कोयले की उच्च लागत पर विचार किया जाना चाहिए।

3 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 697 ए

एच.

677

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनामअदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड. [बी. आर. गवई, जे.] ए.

सीईआरसी द्वारा सुझाए गए तौर-तरीके। संचार में कहा गया है कि सरकार के निर्णय के अनुसार, सी. ई. आर. सी./एस. ई. आर. सी. द्वारा मामले-दर-मामले के आधार पर आयात/बाजार आधारित ई-नीलामी कोयले की उच्च लागत पर विचार किया जाना चाहिए ताकि एल. ओ. ए./एफ. एस. ए. में दर्शाई गई मात्रा में कमी हो। 131.पैराग्राफ 6.1 में एमओपी द्वारा जारी 28 जनवरी 2016 की टैरिफ नीति में भी विशेष रूप से इस स्थिति को नोट किया गया है और कहा गया है कि एलओए/एफएसए में दर्शाई गई सुनिश्चित मात्रा या मात्रा की तुलना में सीआईएल द्वारा आपूर्ति किए गए घरेलू कोयले की कम मात्रा के मामले में, कमी को पूरा करने के लिए खरीदे गए आयातित/बाजार आधारित ई-नीलामी कोयले की लागत को उपयुक्त आयोग द्वारा पारित करने के लिए माना जाएगा।

बी.

सी.

132. निर्विवाद रूप से, एनर्जी वॉचडॉग (ऊपर) के मामले के साथ-साथ अडानी राजस्थान मामले (ऊपर) में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि कानून में परिवर्तन के कारण, उत्पादन करने वाली कंपनियां मुआवजे की हकदार थीं ताकि पार्टी को उसी आर्थिक स्थिति में बहाल किया जा सके जैसे कि कानून में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ था।यदि कानून में बदलाव नहीं हुआ होता, तो

उत्पादन कंपनियां एफ. एस. ए. के तहत सी. आई. एल./कोयला कंपनियों द्वारा आश्वासन के अनुसार आपूर्ति की हकदार होतीं।

डी.

133. डिस्कॉम्स द्वारा यह तर्क दिया गया है कि एनर्जी वॉचडॉग (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने विशेष रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि कोयले की कीमत में अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी तो बल आकस्मिकता का सिद्धांत लागू नहीं होगा और इस तरह, यह उत्पादन करने वाली कंपनियों को अनुबंध के अपने हिस्से का प्रदर्शन करने से मुक्त नहीं करेगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब बोली लगाने वालों ने अपनी बोलियां प्रस्तुत कीं, तो यह एक जोखिम था जिसे उन्होंने जानबूझकर लिया था।हम उक्त समर्पण को आधारहीन पाते हैं।जनरेटर कोयले की कीमत में वृद्धि या आपात स्थिति के आधार पर मुआवजे का दावा नहीं कर रहे हैं।उनके दावे, वास्तव में, कानून में परिवर्तन के आधार पर हैं, जिसे इस न्यायालय ने, एनर्जी वॉचडॉग (ऊपर) के मामले के साथ-साथ अडानी राजस्थान मामले (ऊपर) में, कानून में परिवर्तन के आधार पर बरकरार रखा है।

ई.

एफ.

जी.

134. डिस्कॉम्स का तर्क कि अडानी राजस्थान मामला **(**उपरोक्त**)** वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है

जैसा कि अडानी राजस्थान मामले (ऊपर) में, राज्य

राजस्थान ने 100% कोयले की आपूर्ति का आश्वासन दिया था और यह एक नहीं था

एच.

एफ. एस. ए. का मामला, हमारे विचार में, सारहीन है।वर्तमान मामले में भी, एन. सी. डी. पी. 2007 ने मानक मूल्य के ईंधन/कोयले की आपूर्ति का आश्वासन दिया था।

135. प्रतिस्थापन सिद्धांत इस न्यायालय द्वारा कहा गया है

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड का मामला

(यू. एच. बी. वी. एन. एल.) (ऊपर) इस प्रकारः“10. अनुच्छेद 13.2 एक अंतर्निहित प्रतिस्थापन सिद्धांत है जो कानून में इस तरह के परिवर्तन से प्रभावित पक्ष को मुआवजा देता है और जिसे मासिक शुल्क भुगतान के माध्यम से प्रभावित पक्ष को उसी आर्थिक स्थिति में बहाल करना चाहिए जैसे कि कानून में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है।इसका मतलब यह होगा कि इस खंड द्वारा एक कल्पना बनाई गई है, और पक्ष को उसी आर्थिक स्थिति में रखा जाना चाहिए जैसे कि कानून में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी पक्ष को नागरिक कानून में समझे गए पुनर्स्थापन का लाभ दिया जाना चाहिए।……..””

बी.

सी.

25. इस प्रकार पुनर्स्थापन सिद्धांत, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा कानून में परिवर्तन के कारण लगातार लागू किया गया है, शक्ति नीति की शुरुआत के कारण होने वाले परिवर्तन के कारण भी लागू होगा।26. अपीलार्थी का यह तर्क कि शक्ति नीति एन. सी. डी. पी. 2007 की स्थिति को वापस लाती है और कोयले की आपूर्ति का आश्वासन देती है, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है।शक्ति नीति के अवलोकन से पता चलता है कि शक्ति नीति 2007 एन. सी. डी. पी. में 100% के मुकाबले 70 प्रतिशत ए. सी. क्यू. का आश्वासन देती है। 27.मामले के उस दृष्टिकोण में, हम पाते हैं कि यह तर्क कि शक्ति नीति 2007 एन. सी. डी. पी. की स्थिति को बहाल करती है, तथ्यात्मक रूप से गलत है। 28. जहाँ तक विधि सूचना में परिवर्तन का संबंध है, ए. पी. टी. ई. एल. ने अपने निर्णय और आदेश में इस प्रकार कहा हैः

डी.

ई.

एफ.

“ 13.7 हमने ए. पी. एम. एल. द्वारा की गई प्रस्तुतियों और आक्षेपित क्रम में निष्कर्षों पर विचार किया है।यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि इस मुद्दे पर प्रत्यर्थी , एम. एस. ई. डी. सी. एल. द्वारा इसके विपरीत कोई प्रस्तुति नहीं दी गई है।ऐसा प्रतीत होता है कि विवादित आदेश में एम. ई. आर. सी. ने बिजली के खरीदार को यह सूचित करने के एक साधन के रूप में कानून में परिवर्तन की सूचना के इरादे का विस्तार किया है कि वैकल्पिक कोयले के इच्छित उपयोग के कारण बिजली की लागत बढ़ने की संभावना है और फिर वितरण लाइसेंसधारी ऐसी महंगी बिजली को निर्धारित नहीं करने का निर्णय ले सकता है।सबसे पहले, पी. पी. ए. के प्रावधानों से इस तरह के किसी भी इरादे को नहीं समझा जा सकता है जिसमें परिवर्तन ए की आवश्यकता होती है।

जी.

एच.

खरीददारों को कानूनी नोटिस दिया जाना।एम. ई. आर. सी. ने इस बात पर विचार-विमर्श नहीं किया है कि यह व्यवस्था अन्य परिदृश्यों में कानून प्रावधान में परिवर्तन के कार्यान्वयन को कैसे प्रभावित करेगी।उदाहरण के लिए, यदि करों या शुल्कों की दरों में कोई बदलाव होता है, जो जनरेटर को कानून में राहत पाने का अधिकार देता है, तो क्या यह कहा जा सकता है कि खरीददार को करों या शुल्कों में इस तरह के बदलावों के प्रभाव के बारे में सूचित किया जाना चाहिए ताकि वे यह तय कर सकें कि उन्हें शक्ति निर्धारित करनी है या नहीं।हमारे विचार में, यह पी. पी. ए. के तहत खरीदारों को कानूनी नोटिस में बदलाव का इरादा प्रतीत नहीं होता है। इसका सीधा सा कारण यह है कि एम. ई. आर. सी. द्वारा कानूनी दावे में बदलाव का फैसला करने के बाद ही पता चलेगा कि एम. एस. ई. डी. सी. एल. पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं।जब तक विक्रेताओं द्वारा केवल कानूनी घटना में परिवर्तन की घटना को सूचित करने के लिए ऐसा समय नहीं दिया जाता है, तब तक हमारे विचार में, योग्यता क्रम सिद्धांतों पर शक्ति के समय निर्धारण से संबंधित निर्णयों को प्रभावित नहीं करेगा।जहाँ तक एमओडी स्टैक की तैयारी का संबंध है, किसी भी स्थिति में (एन-1) वें या (एन-2) वें महीने के ऊर्जा चार्ज बिल के आधार पर एमओडी तैयार करना सामान्य प्रथा है।इसलिए, वैकल्पिक कोयले के नियमित या लगातार उपयोग का प्रभाव किसी भी तरह से एमओडी स्टैक में परिलक्षित होगा, भले ही एक या दो महीने के अंतराल के साथ।"

बी.

सी.

डी.

29. ए. पी. टी. ई. एल. के उपरोक्त निष्कर्ष को विकृत या बाहरी विचार पर आधारित या किसी भी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

ई.

30. यह हमें वहन लागत के संबंध में मुद्दा छोड़ देता है।

31. एडीएएनआई पावर लिमिटेड बनाम केंद्रीय बिजली के मामले में

विनियामक आयोग 4, सी. ई. आर. सी. इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि पी. पी. ए. में कानून में परिवर्तन की घटना की तारीख से लेकर आयोग द्वारा अनुमोदन की तारीख तक की अवधि के लिए वहन लागत के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं था।इस प्रकार, आयोग ने कानून में परिवर्तन की तारीख से निर्णय की तारीख तक प्रतिस्थापन सिद्धांतों पर वहन लागत प्रदान करने के लिए उत्पादक कंपनी की प्रार्थना को खारिज कर दिया था।ए. पी. टी. ई. एल. ने सी. ई. आर. सी. के फैसले को पलटते हुए और वहन लागत की अनुमति देते हुए इस प्रकार टिप्पणी की थीः

एफ.

जी.

“29. हमारे विचार से शुल्क में इस तरह का समायोजन मौजूदा शुल्क के पुनर्निर्धारण से कम नहीं है।

4 2018 एससीसी ऑनलाइन ए. पी. टी. ई. एल. 5

एच.

680

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 5 एस सी आर।

x. इसके अलावा, अनुच्छेद 13.2 के प्रावधान अर्थात अपीलार्थी को उसी आर्थिक स्थिति में पुनर्स्थापित करना जैसे कि कानून में परिवर्तन नहीं हुआ है, 'पुनर्स्थापन' के सिद्धांत के अनुरूप है अर्थात किसी विशिष्ट वस्तु को उसकी सही स्थिति में पुनर्स्थापित करना।इसलिए, पी. पी. ए. के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पुनर्स्थापन और निर्णय का सिद्धांत

बी.

भारतीय पर्यावरण-कानूनी परिषद के मामले में न्यायालय

कार्रवाई बनाम भारत संघ, हमारी सुविचारित राय है कि अपीलार्थी विधि परिवर्तन की प्रभावी तिथि से उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा उक्त घटना के अनुमोदन तक विधि परिवर्तन की घटनाओं में परिवर्तन के अनुमोदन से उत्पन्न होने वाली लागत वहन करने के लिए पात्र है।यह भी देखा गया है कि गुजरात बोली-1 पी. पी. ए. में उसी आर्थिक स्थिति को बहाल करने का कोई प्रावधान नहीं है जैसे कि कानून में बदलाव नहीं हुआ है।तदनुसार, वहन लागत की अनुमति देने का यह निर्णय गुजरात बोली-1 पीपीए पर लागू नहीं होगा।

सी.

32. उसी मामले में इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई

डी.

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू. एच. बी. वी. एन. एल.) और एक अन्य बनाम अडानी पावर लिमिटेड और अन्य 5.न्यायालय ने खारिज कर दिया

और ए. पी. टी. ई. एल. के आदेश को बरकरार रखा। इस प्रकार, इस संबंध में तर्क को खारिज करने की आवश्यकता है।

33. एम. एस. ई. डी. सी. एल. बनाम ए. पी. एम. एल. और अन्य (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने नियुक्ति, योग्यता और सी. ई. ए., सी. ई. आर. सी. और विद्वान ए. पी. टी. ई. एल. के सदस्यों के संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करने के बाद यह निर्णय दिया कि ये निकाय इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से बने निकाय हैं।इस मुद्दे पर विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

ई.

एफ.

“123. हाल ही में इस मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने

विवेक नारायण शर्मा बनाम भारत संघ ने माना है कि

न्यायालयों को क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा लिए गए निर्णयों में हस्तक्षेप करने में धीमी गति से काम करना चाहिए और जब तक यह नहीं पाया जाता है कि विशेषज्ञ निकाय अनिवार्य वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखने में विफल रहे हैं या लिए गए निर्णय बाहरी विचारों पर आधारित हैं या वे प्रत्यक्ष रूप से मनमाने और अवैध हैं, तब तक इस न्यायालय के लिए अपने विचारों को विशेषज्ञ निकायों के साथ प्रतिस्थापित करना उचित नहीं होगा।”

जी.

5 (2019) 5 एससीसी 325 ए

एच.

681

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनामअदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड. [बी. आर. गवई, जे.]

34. हमारे विचार में, ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को अनिवार्य वैधानिक प्रावधानों की अज्ञानता में लिया गया दृष्टिकोण नहीं कहा जा सकता है और न ही यह कहा जा सकता है कि यह बाहरी विचारों पर आधारित है।इस दृष्टिकोण को मनमाना या अवैध भी नहीं कहा जा सकता है।इस प्रकार, हमारे विचार में, वर्तमान अपीलों में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं होगा।35. नतीजतन, अपीलें खारिज कर दी जाती हैं।लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।कोई लागत नहीं।

बी.

दिव्या पांडे

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

(सहायकः शेवाली मोंगा, एलसीआरए)

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.